तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.09.2021	पत्रावली वास्ते आदेश अन्तरिम स्थगन पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर विभाजन काफी समय पूर्व पक्षकारान के पिता द्वारा हिस्सानुसार कर दिया गया है और तभी से सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त व अपनी अपनी आराजी को विकसित कर रहे हैं तथा अपीलाण्ट भी अपने हिस्से की आराजी में अपने पशुओ को बॉधने के लिये बाडा बना रहा है जो कि पटाव तक पॅहुच गया है। वर्तमान में वर्षा का मौसम होने के कारण उसकी तुरन्त ही मरम्म नहीं की गई तो अपीलाण्ट का बाडा गिर जायेगा व अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। चूंकि आराजी में अपीलाण्ट का हिस्सा विवादित नहीं है तथा अपीलाण्ट विवादित आराजी का सहखातेदार है एवं सह खातेदार के खिलाफ कोई भी स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के प्रभाव को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2021 का है जो कि एक अन्तरिम आदेश है एवं निर्धारित तिथि दिनांक 08.11.2021 तक ही प्रभावी है। ऐसे में अपील संधारणीय नहीं है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 18.07.2021 के विरूद्ध नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आगामी पेशी, अधिकतम एक–एक सप्ताह से अधिक की नहीं दी जावें एवं उभयपक्ष को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुये अधिकतम एक माह में प्रकरण का निस्तारण करें। अपीलाण्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सुनाया गया। 28.9.2021 (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर	